संख्या-926/2018/1799/22-2-2018-17(244)/2013

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश पुत्र श्री सत्यनारायन, निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31594/प्रोबे0-5/दया0(बैठक-07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रमेश पुत्र श्री सत्यनारायन, निवासी-ग्राम-सहरावा,थाना-सोहरामऊ, जनपद-उन्नाव का रहने वाली है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24.03.1999 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, लाठी व ईटें से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/1999 धारा 147,149,323,325,302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत सत्र न्यायाधीश उन्नाव के आदेश दिनांक 23.10.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2018 तक 18 वर्ष 10 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह 07 की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा**,** कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमेश (बंदी संख्या-12683) पुत्र श्री सत्यनारायन, निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-926/2018/1799(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in